प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

पीठ : **माननीय श्री जगदीश भल्ला, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति**

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका सिविल संख्या 6228 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुष्प स्टील एंड माइनिंग (प्राइवेट) एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य,

विचार हेतु आदेश

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति

सही/-

आदेश के लिए सूचीबद्ध करें : **10/1/2008**

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

10/1/2008

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका सिविल संख्या 6228/2007

पीठ : **माननीय श्री जगदीश भल्ला, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति**

माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : **(1) पुष्प स्टील एंड माइनिंग (प्राइवेट) लिमिटेड भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एवं निगमित कंपनी पंजीकृत कार्यालय 751-कुंडेवालान स्ट्रीट- अजमेरी गेट, नई दिल्ली-6 द्वारा निदेशक अतुल जैन, पिता श्री सुलेश चंद्र जैन, आयु लगभग 39 वर्ष |**

(2) अतुल जैन, पिता श्री सुलेश चंद्र जैन, आयु लगभग 39 वर्ष, निदेशक, पुष्प स्टील एंड माइनिंग (प्रा.) लिमिटेड, निवासी: 39 अरिहंत नगर, पंजाबी बाग, पश्चिम नई दिल्ली 110026

बनाम

उत्तरवादी : **(1) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव वाणिज्य एवं उद्योग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।**

(2) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, सचिव/संयोजक द्वारा मंत्रालय से सटे, रेणुका द्वार, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)।

(3) अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग डी.के.एस. भवन मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

उपस्थित:

श्री रजत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री धीरज मल्होत्रा, गौतम भादुड़ी और श्री एस.के. तिवारी, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ।

श्री विनय हरित, राज्य के उप महाधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(पारित दिनांक 10/1/2008)

निम्नलिखित आदेश श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया।

(1) याचिकाकर्ता दिनांक 29-09-2007 के आदेश की वैधता पर आपत्ति जताते हैं (अनुलग्नक पी/1), जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार और याचिकाकर्ता संख्या 1- मेसर्स पुष्प स्टील एंड माइनिंग (प्रा.) लिमिटेड (संक्षेप में, "पीएसएमएल") के बीच 7-1-2005 को निष्पादित समझौता ज्ञापन (जिसे आगे "एमओयू" कहा जाएगा) को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने 7-1-2005 को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे छत्तीसगढ़ राज्य में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए, जिसमें 380 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश शामिल है, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	संयंत्र/सुविधा	वार्षिक क्षमता/इकाई	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)
1.	स्पंज आयरन प्लांट(350 टीपीए x3)	315000 टीपीए	80.00
2.	कैप्टिव पावर प्लांट (8 x 3)	24 एमडब्ल्यू	75.00
3.	कम प्रदूषण (यूरो IV और यूरो V) अनुरूप ऑटोमोटिव पुर्ज़े कैप्टिव सामग्रियों से बने।		225.00
		कुल	380.00

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता संख्या 1- पीएसएमएल और उत्तरवादी संख्या 1 छत्तीसगढ़ सरकार के बीच निम्नलिखित शर्तों, आश्वासनों और प्रतिबद्धताओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करने
पर सहमति हुई।

"ए. पीएसएमएल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण :-

अ.1 दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि पीएसएमएल छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त परियोजनाएँ स्थापित करेगा जिसके लिए राज्य सरकार और उसकी एजेंसियाँ परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता और पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।

अ.2 पीएसएमएल पर्यावरणीय उन्नयन और आसपास के क्षेत्रों/गाँवों आदि के सामाजिक उत्थान के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करेगा ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके।

अ.3 पीएसएमएल उद्योग विभाग या किसी राज्य सरकार एजेंसी द्वारा प्रवर्तित सहायक उद्योगों की स्थापना में सहायता करेगा।

अ.4 पीएसएमएल राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगा।

अ.5 पीएसएमएल अपनी विद्युत परियोजनाओं और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उत्पन्न फ्लाई ऐश के उपयोग और निपटान के लिए कानून के अनुसार प्रावधान करेगा।

अ.6 पीएसएमएल छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर।

अ.7 पीएसएमएल परियोजना का कार्यान्वयन यथाशीघ्र शुरू करेगा लेकिन इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि से 2 वर्ष के भीतर शुरू करेगा और यदि परियोजना का कार्यान्वयन दो वर्षों के भीतर शुरू नहीं होता है, तो यह समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) यह समझौता ज्ञापन छत्तीसगढ़ औद्योगिक संवर्धन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम, 2002" कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए था। अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत, जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया था। अधिनियम, 2002 की धारा 5 में उक्त समितियों के कामकाज का प्रावधान है। अधिनियम, 2002 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (संक्षेप में, "एसआईपीबी") का गठन किया गया था। अधिनियम, 2002 की धारा 11 में जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों और एसआईपीबी के कार्यों का प्रावधान है।

(4) दिनांक 19-1-2005 (अनुलग्नक पी /3) को एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी संख्या 2 के बीच, जिसके तहत ग्राम रसमड़ा, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग में स्थित 11.421 हेक्टेयर भूमि, उत्तरवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा प्रदान करने का आदेश दिया गया। उक्त पट्टा विलेख के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (संक्षेप में,

"सीएसआईडीसी") को 61,67,340/- रुपये का भुगतान किया और दिनांक 17-1-2005 को 45,68,400/- रुपये की बैंक गारंटी भी सीएसआईडीसी को प्रस्तुत की गई। इसके बाद, उक्त भूमि का कब्ज़ा याचिकाकर्ताओं द्वारा ले लिया गया और सीएसआईडीसी को पट्टा किराया, रखरखाव शुल्क और सड़क मार्ग शुल्क के रूप में 5,02,524/- रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने 20-1-2005 को पट्टा पंजीकरण शुल्क के रूप में 5,68,768/- रुपये का भुगतान भी किया। राज्य सरकार ने 5-5-2005 को केंद्र सरकार को पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा प्रदान करने की सिफारिश की (अनुलग्नक पी/6)।

(5) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 5-4-2006 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एफसी प्रभाग) ,भारत सरकार ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कम्पार्टमेंट संख्या 366, 369, 370, 371,372, 373, 374 और 375 में 705.33 हेक्टेयर वन भूमि पर लौह अयस्क के पूर्वेक्षण हेतु मंज़ूरी प्रदान की (अनुलग्नक पी /13)। 4-6-2005 को, सीएसआईडीसी ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि याचिकाकर्ताओं ने 24-1-2005 को भूमि का कब्ज़ा लेने के बाद से पट्टे वाली जगह पर संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।13-6-2005 को याचिकाकर्ताओं ने सीएसआईडीसी को सूचित किया कि आवंटित भूमि का आकार याचिकाकर्ताओं के लिए एक बाधा है, हालाँकि सलाहकार मेकॉन पहले से ही परियोजना के लिए साइड डेवलपमेंट प्लान पर काम कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने बैंक गारंटी 16-1-2007 तक बढ़ा दी। सीएसआईडीसी द्वारा मांगे गए वार्षिक शुल्क भी याचिकाकर्ताओं द्वारा 22-3-2006 को चुका दिए गए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सिविल कार्य निर्माण के लिए सिविल कार्य का ठेका भी मेसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन्स को 14-3-2006 को प्रदान किया गया। याचिकाकर्ताओं ने मशीनों आदि के लिए आदेश माइकल ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया। याचिकाकर्ताओं को माइकल ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड से दिनांक 7-3-2006 का प्रस्ताव पत्र (अनुलग्नक पी /11) प्राप्त हुआ। बोरई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में "1X500 TPD के लिए किल्न और कूलर" स्पंज आयरन प्लांट के लिए टर्नकी आधार पर निर्माण, शिपिंग, स्थापना और कमीशनिंग के लिए 39,44,000 अमेरिकी डॉलर का सीआईएफ, समुद्री बंदरगाह, इस शर्त के साथ कि डिलीवरी अग्रिम राशि प्राप्त होने की तिथि से अठारह महीनों के भीतर की जाएगी।इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 10-3-2006 को बोरई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में "1X500 टीपीडी के लिए किल्न और कूलर" स्पंज आयरन प्लांट के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

टर्नकी आधार पर निर्माण, शिपिंग, स्थापना और कमीशनिंग के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर के ऑर्डर की पुष्टि की और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दस दिनों के भीतर अमेरिकी डॉलर भेजने का वचन दिया। इसके बाद यह राशि भेज दी गई। पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने की स्वीकृति के बावजूद, खनिज संसाधन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य ने आज तक पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने खदान स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (संक्षेप में, एनओसी) प्रदान करने के लिए 6-10-2006 (अनुलग्नक पी /16) को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, रायपुर को आवेदन किया ताकि पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को पर्यावरणीय मंज़ूरी के लिए आवेदन किया जा सके क्योंकि एनओसी प्रदान करना एक पूर्वा आक्षेपित आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) याचिकाकर्ताओं को सीएसआईडीसी से दिनांक 14-9-2007 (अनुलग्नक पी/32) को साठ दिनों के भीतर कमियों को दूर करने का नोटिस प्राप्त हुआ। 29-9-2007 को समझौता ज्ञापन समाप्त कर दिया गया। 29-9-2007 का आक्षेपित आदेश 17-9-2007 को आयोजित एसआईपीबी की बैठक (अनुलग्नक आर/1) में लिए गए निर्णय के आधार पर पारित किया गया था। 17-9-2007 की बैठक से पहले, उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 13 और 14 सितंबर, 2007 (अनुलग्नक आर/2) को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि याचिकाकर्ताओं सहित अठारह निवेशक, जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर या तीन वर्षों के भीतर परियोजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया है, उनके समझौता ज्ञापन को समाप्त करने की सिफारिश की जाए। इसलिए, एसआईपीबी की बैठक में लिए गए दिनांक 17-9-2007 के निर्णय और दिनांक 29-9-2007 के परिणामी आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की गई है। दिनांक 26-11-2007 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन किया और एक रिट/निर्देश की मांग की है सीएसआईडीसी द्वारा जारी दिनांक 14-9-2007 (अनुलग्नक पी/32), राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 3-10-2007 (अनुलग्नक पी/35) के अनुवर्ती आदेश, राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 11-10-2007 (अनुलग्नक पी/36) और परिणामी राहत को रद्द करने के लिए, परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक मंजूरी देने के लिए दिनांक 7-1-2005 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में ।

(7) श्री रजत शर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री धीरज मल्होत्रा, गौतम भादुड़ी और श्री एस.के. तिवारी, विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित होकर यह तर्क दे रहे कि एसआईपीबी द्वारा दिनांक 17-9-2007 को लिया गया निर्णय, दिनांक 29-09-2007 का आक्षेपित आदेश, सीएसआईडीसी द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 को जारी दिनांक 7-1-2005 के समझौता ज्ञापन को समाप्त करने वाला और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3-10-2007 को पारित आदेश, इस आधार पर अवैध और कानून के विरुद्ध हैं क्योंकि आक्षेपित समाप्ति आदेश और परिणामी आदेश प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। अधिनियम, 2002 की धारा 11 के प्रावधानों के तहत एसआईपीबी की शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अधिकारहीन हैं। आक्षेपित निर्णय और आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। आक्षेपित आदेश मनमाने, अनुचित हैं और बिना उचित विवेक के पारित किए गए हैं। ये आदेश याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षाओं का भी उल्लंघन करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सभी आधारों (उपर्युक्त) पर जोर नहीं दिया, सिवाय इसके कि निर्णय/आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, वचनबद्धता निषेध के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं। विद्वान अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत करेंगे कि राज्य उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 13 और 14 सितंबर, 2007 को आयोजित अपनी बैठक (अनुलग्नक आर/2) में एसआईपीबी ने याचिकाकर्ताओं के मामले पर विशेष रूप से विचार नहीं किया और याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। तब निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ताओं के नाम की सिफारिश सत्रह अन्य समझौता ज्ञापनों के साथ अगली बोर्ड बैठक के लिए की जाए। बैठक के कार्यवृत्त में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उपधारा 5 (A) में परियोजना स्थापित करने की सहमति के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है इस आधार पर कि राज्य स्तरीय समिति का गठन नहीं किया जा सका। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से परियोजना स्थापना हेतु सहमति प्राप्त किए बिना परियोजना/कारखाने की स्थापना के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने परियोजना के कार्यान्वयन को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि से दो वर्ष के बाद नहीं।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसआईपीबी की 17-9-2007 को हुई अगली बैठक में, याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना, 13 और 14 सितंबर, 2007 को हुई प्रारंभिक बैठक (अनुलग्नक आर/3) में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। सत्रह अन्य निवेशकों के साथ याचिकाकर्ताओं के समझौता ज्ञापन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 17-9-2007 के निर्णय के आधार पर, समझौता ज्ञापन को समाप्त करने वाला आक्षेपित आदेश 29-9-2007 को पारित किया गया (अनुलग्नक पी/1)। दिनांक 29-9-2007 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश के पारित होने के बाद, राज्य सरकार ने दिनांक 3-10-2007 (अनुलग्नक पी/35) के आदेश द्वारा भूमि के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क में दी गई रियायतों को अपास्त कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को दिनांक 11-10-2007 (अनुलग्नक पी/36) का नोटिस जारी किया गया, जो 16-10-2007 को प्राप्त हुआ, जिसमें याचिकाकर्ताओं से 15-11-2007 तक या उससे पहले जवाब देने का आह्वान किया गया कि खनन पट्टे के अनुदान हेतु आवेदन को अपास्त क्यों नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) इसके विपरीत, प्रतिवादियों/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, अधिवक्ता ने अपने तर्क में सुधार किया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर पहले ही दिया जा चुका है क्योंकि वे एसआईपीबी की 13 और 14 सितंबर, 2007 की बैठक (अनुलग्नक आर/3) में उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। याचिकाकर्ताओं ने स्पंज आयरन प्लांट स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई आवेदन नहीं किया है। समझौता ज्ञापन के खंड (ए) पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता दो वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने में विफल रहे हैं, इसलिए समझौता ज्ञापन समाप्त हो गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई सभी रियायतें बाद में वापस ले ली गईं।

(10) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और संलग्न दलीलों और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 2-11-2007 के रिटर्न में प्रतिवादियों/राज्य का रुख इस प्रकार था:

"यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि चूँकि समझौता ज्ञापन स्वयं एक अनुबंध नहीं है, इसलिए इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि संबंधित पक्ष, अर्थात् निवेशक, संबंधित है अपनी स्थिति और आवश्यकताओं से अवगत है जिन्हें उसे 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना है। चूँकि निवेशक अपने दायित्व/ प्रतिबद्धताओं से अवगत है, इसलिए समझौता ज्ञापन को अपास्त करने से पहले निवेशक को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने समय-समय पर बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं और ऐसे किसी भी निवेशक, जिसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 2 वर्षों के भीतर परियोजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया है, के साथ समान रूप से और समान रूप से व्यवहार किया गया है और उनके साथ किया गया समझौता ज्ञापन अपास्त कर दिया गया है।

सादर यह निवेदन किया जाता है कि 17-9-2007 को आयोजित एसआईपीबी की बैठक से पहले, राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करने वाले निवेशकों के प्रतिनिधियों को समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए निवेशों की प्रगति की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था। यद्यपि कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि 13 और 14 सितंबर, 2007 को आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) एसआईपीबी की बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की परियोजना की प्रगति के संबंध में समझौता ज्ञापन के अनुसार कोई चर्चा नहीं हुई थी। यह निर्णय अनौपचारिक रूप से लिया गया था, जिसमें अठारह निवेशकों के अठारह समझौता ज्ञापनों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल थे। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि परियोजना की स्थापना हेतु सहमति हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के समक्ष विचाराधीन था क्योंकि कोई राज्य स्तरीय समिति गठित नहीं की जा सकी थी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को परियोजना की स्थापना हेतु कोई भी कदम न उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(12) यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना है। ऑडी अल्टरम पार्टेम प्राकृतिक न्याय के मूल स्तंभों में से एक है, जिसका अर्थ है कि बिना सुने किसी भी पक्षकार को दोषी माना नहीं जाना चाहिए।

(13) श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "अतः, अब यह कानून पूरी तरह से स्थापित माना जाना चाहिए कि प्रशासनिक कार्यवाही में भी, जिसमें सिविल परिणाम शामिल हों, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एआईआर 1987 एससी 597

(14) जब किसी वैधानिक प्राधिकारी की ओर से की गई कार्रवाई के कारण, सिविल या विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में, हालाँकि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन अंतर्निहित होगा। किसी क़ानून में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की स्थिति में, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी अधिकारहीन माना जा सकता है (राजेश कुमार एवं अन्य बनाम उप सीआईटी एवं अन्य)।

(15) वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदेश, जिसके दीवानी या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश गलत है और अपास्त किए जाने योग्य है।

(16) पूर्वगामी आधारों को ध्यान में रखते हुए, यह परीक्षण आवश्यक नहीं है कि वचनबद्धता निषेध के सिद्धांत और याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षा के उल्लंघन का आधार क्या है।

(17) उपरोक्त कारणों से, याचिकाकर्ताओं के संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 29-9-2007

(अनुलग्नक पी/1), और दिनांक 17-9-2007 का आदेश (अनुलग्नक आर/1) और दिनांक 14-8-2007 का कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी/32) अपास्त किया जाता है। परिणामी आदेश दिनांक 3-10-2007 (अनुलग्नक पी/35) और दिनांक 11-10-2007 का कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी/36) भी अपास्त किए जाते हैं।

(18) तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/- **सही/**

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश **सतीश के. अग्निहोत्री**

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2007) 2 एससीसी 181 पैरा 26

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्र योजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS MITA TANDIA ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur